

③

I. 938

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 37,41,750.00 रुपये।
स्टाम्प : 2,62,000.00 रुपये।

C.N. 162318---

मैं कि प्रकाश पुत्र श्री नव्यू निवारी ग्राम कचैडा बारशाबाद परगना दादरी
सहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डरा
कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बान्त पाठक 33,
कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डरा कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक
दोयग/क्रेता)।

उप्पल चड्ढा

for Uppl Chadda Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signature



Signature of
Uppl Chadda
30/08/2020



Signature of
Deepak Pathak
30/08/2020



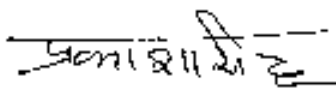
विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (30प्र0), कृषि भूमि खाता नं० 225 के खसरा नं० 153 रकबा 0.4560 है० का 1/4 भाग यानि 0.1140 है० में से 0.08055 है० व खसरा नं० 299 रकबा 0.7210 है० का 1/4 भाग यानि 0.18025 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.2608 है० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409- 1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा मुझे विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 37,41,750/- रुपये (सैतीस लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) मुझे तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, दफ्तर, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का निवाद है विक्रीत भूमि विक्रय मुझे स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।



For Upasat Chaudhary Hi-Tech Developers Pvt. Ltd


Authorised Signatory



नाम: पुत्र जो
 पता: महाराष्ट्र मुंबई
 निवासी: महाराष्ट्र मुंबई
 उम्र: सहीदा जो
 निवासी: महाराष्ट्र मुंबई
 जन्म: मुंबई
 14/11/11

मुंबई

पुत्र



श्री गणेशाय नमः
 निवासी: मुंबई
 उम्र: सहीदा
 निवासी: मुंबई
 जन्म: मुंबई
 14/11/11

उम्र: सहीदा
 निवासी: मुंबई
 जन्म: मुंबई
 14/11/11

(3)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझे फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिवै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि मुझे ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ढ्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय मुझे न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिलिकियत उक्त के विक्रय मुझे कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध मुझे मुझे विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मुझे कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय मुझे पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व मुझे न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य मुझे इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझे विक्रेता को विक्रय पत्र मुझे वर्णित उक्त ख़ाता नं० 225 के ख़सरा नं० 153 रकबा 0.4580 है० का 1/4 भाग यानि 0.1140 है० में से 0.08055 है० व ख़सरा नं० 299 रकबा 0.7210 है० का 1/4 भाग यानि 0.18025 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.2608 है० स्थित ग्राम कवैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझे विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझे विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजाभंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समुझेति से मय रामस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना,

मुजि 21/2/24



Page No. 1 of 1

patray





(4)

दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किरम कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझे विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख मुझे विक्रय घनराशी अंकन 37,41,750/- रुपये (सैतीस लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 18,70,875/- रुपये (अठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ पिवहत्तर रुपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चद्दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय घनराशी मुझे विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय घनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वारतविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिरा प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग मुझे लावे।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की भावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हरताक्षर मुझे फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझे फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि मुझे निहित हित व उसके मूल्य घन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना

यकाश्त है



For Usual Chaudhri Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Chaudhri
Authorized Sign.





(5)

पडा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकलजाने वाली भूमि की घनराशी को मय हर्जें खर्चें प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति मुझे लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2608 हैक्टेयर, खाता नं० 225 के खसरा नं० 153, 299 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय घनराशी प्राप्त कर ली है:-

12/03/2012



Dr Usma Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

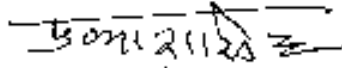
Authorised Signatory





(6)

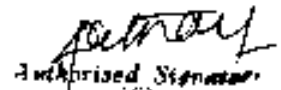
(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 368070 अंकन 36,85,688 /- रुपये (छत्तीस लाख पचासी हजार छ सौ अठासी रुपये मात्र) दिनांकित 14.01.11 व अंकन 56,062/-रु० अंतिम रूप से फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।



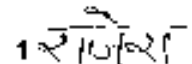
Ms. Anand Chandra Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

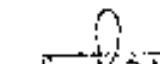


(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

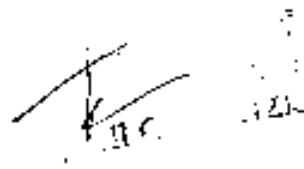

Authorized Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोगम (क्रेता)

गवाह नं० 1  S/O माहेश्वर राय
कमलेश्वर बस्ती गाजियाबाद

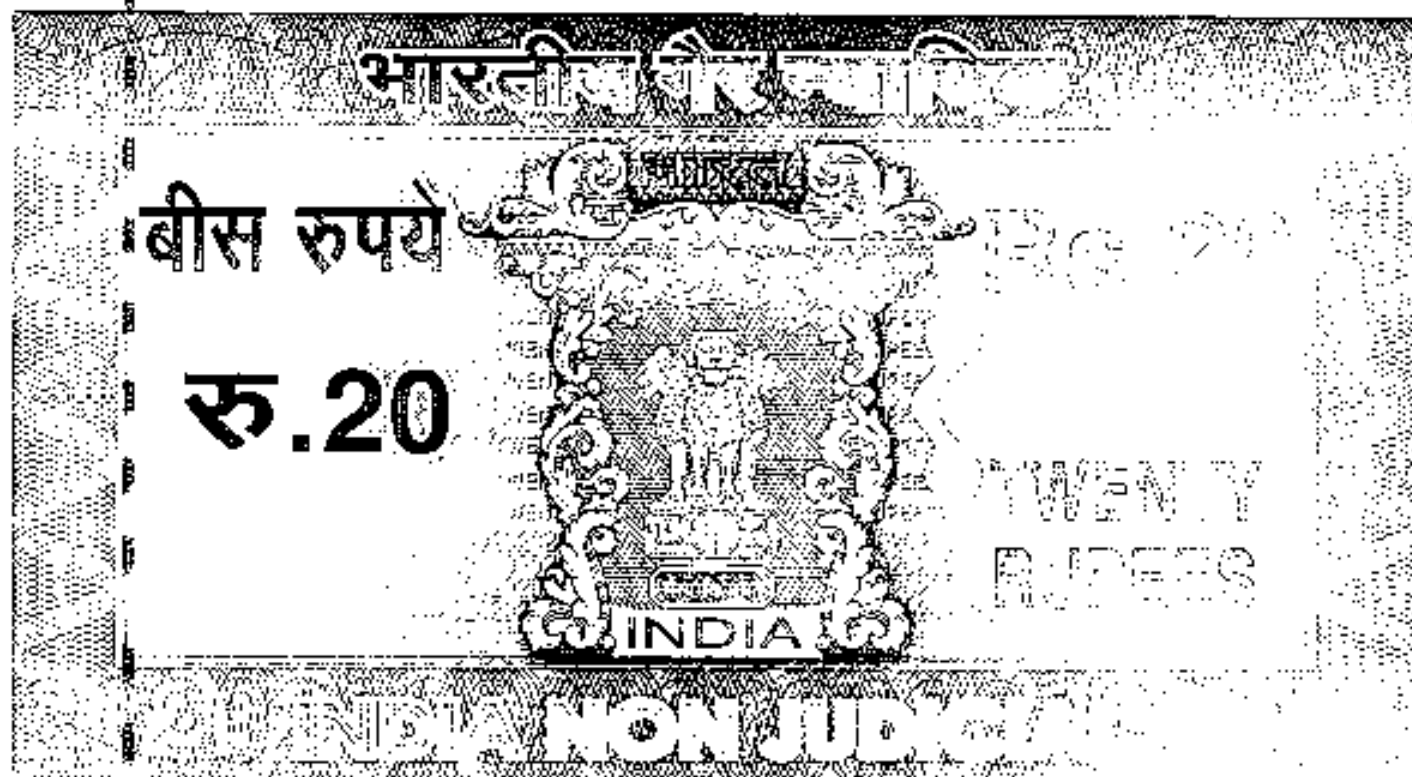
गवाह नं० 2  S/O राय लाल
कमलेश्वर बस्ती गाजियाबाद

तहरीर दिनांक 14.01.2011 मसीदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद









उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 165025

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY , NEW DELHI

in pursuance of the order of the collector

No...memo....dated.14.01.11 passed under

Section 10-A of the stamp act.It is certified that an

amount of Rs.2,62,000-00(Inwords Rs.Two lacs sixty two thousand only)

has been paid in cash as stamp duty in respect

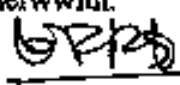
of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury ...~~NOIDA~~

By Challan No...N...162318..... dated.14.01.11

A copy of which is annexed herewith.

141
Dated 2011


Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

14/1/11

नं. 683 से 204
किया गया।

11 JAN 2011

रोकडि
* कोषागार/गौतम बुद्ध मठ

१० इ.प.ल. न्य. ६६१ ए/६६२ के अन्तर्गत
नई दिल्ली-

आज दिनांक 14/1/11 का फाइलेस्टे
ति पुस्तक संख्या 3119
खण्ड संख्या
केपुछ 395 पर क्रम संख्या 739
408
संशोधित किया गया।

उपनिर्देश
राह:



लक्ष्मीलः : दादनी

परिवर्तन सामर्थ्य आता या तत्वाका संतारा
उत्तकौ संख्या तदा दिवौक भर्त्तुन ३५०
आहार वेने
घाने अधिकार्थो का पान .

q ₁₄₀₂	153 ✓	0.4560
q ₁₄₀₂	299 ✓	0.7210
q ₁₄₀₂	900	0.3940

ਦੇਵਨ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਵਿਭਾਗੀਕ ਸਿਰੋ ਨਿ.ਸ-2 ਪੰ.3 ਜੇਰ

जनपद : गौतमबुद्धनगर कारोही वर्ष : 1409-1414 भाग : 1 तालीक : कारोही

खाली स्वतन्त्री क्रम संख्या	कारोवारको आधारः	भू-मिति प्रमाणिक संख्याको आधार	निवास स्थान गाम	शैक्षिक स्तरको आधार माध्यमिक शिक्षा कारोही वर्ष	कारोही के प्रत्येक पाठको को कारोवार संख्या	कारोहीको आधार का क्षेत्रफल (हे.)	कारोवार आय क्षेत्र माध्यमिकी या मागान	सर्वोच्च सम्बन्धी आय या उसको मागको क्षेत्रको क्षेत्रफल तथा विनियम सहित और अन्य क्षेत्र कारोही स्तरको आधार
-----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	---	---	--	--	--

कुल गाउँ : 3 कुल क्षेत्र : 1,5710 65.50

नोटः का नाम अनुसार क्षेत्र हो । हे म. ३. ७२
25-7-2009

हस्ताक्षर



सेवा में

शाखा प्रबन्धक

विशेष प्रबन्धक

हस्ताक्षर

18

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) को सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि गुज्र प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिस
खाता संख्या 255 खसरा नम्बर 532598 रियात ग्राम ...
परगना ... व तहसील ... जिला ...
। गुज्र प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उपलब्ध चंदवा हाईटेक डेवलपर्स प्रा० लि
को बेचना है। इस कारण कंपनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि गुज्र प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।
अतः आप से निवेदन है कि गुज्र प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

प्रकाश 8/1 नं०



सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

उपप्रबन्धक ग्राहक विकास विभाग
दादरी

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका
खाता संख्या 225 खसरा नम्बर 153, 199 रकबा स्थित ग्राम कलेवा
भारतवाड़ा परगना दादरी व तहसील दादरी जिला जेठपुरा
। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में उष्ण चट्टा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आपण्यवन्ता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।
अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

प्रदेश 510 नं० 1

मन्त्र 510 (नं० 1)

Notary
20.1.11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 447549

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गाजियाबाद में श्री ~~जयस~~ पुनोदा
 पुत्र/पति जयस
 निवासी ग्राम कल्लोडा - ता. गाजियाबाद परगना तहसील ता. गाजियाबाद
 व जिला

प्रथम पक्ष

एवं

गै० उषल चडड़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी
 सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम परगना व तहसील
 जिला में स्थित भूमि खाता सं० खसरा सं
 कुल एकड़ हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
 संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
 दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नहीं
 है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
 कोई केस नहीं चल रहा है।

जयस

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० 1 के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिरसे पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु०/- द्वारा बैंक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा बैंक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।

—उत्तराखण्ड—

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, गलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष 5 मा 21 21

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.